Annual Report 2015-16

वार्षिक प्रतिवेदन 2014

मदद

सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट,
मरियम कॉलोनी, एक्स० टी० टी० आई, दीघा घाट, पटना&800011

अध्यक्ष की कलम से

मदद (सोसाईटी फॉर माबिलाईजेशन ऑफ एक्शन दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) एक गैर-राजनैतिक, गैर-धार्मिक एवं अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना सन् 2007 में की गई थी। मदद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन न०-1029/2009-10 है। हमारी संस्था विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों एवं अभिवंचितों के समूचित विकास के लिए कार्य करती है, जिसमें दलितों, आदिवासियों एवं अभिवंचितों की पहचान, मान-सम्मान, समानता, कानूनी व सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं। संस्था वंचित समुदायों को मान-सम्मान के साथ-साथ जीवन-जीने हेतु संपूर्ण विकास करने और वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को लाने के लिए कटिबद्ध है। संस्था लक्षित समुदायों से जुड़कर उनके सुझाव एवं विचारों को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ काम करने में संलग्न रही है। वंचित समुदायों के बीच बुनियादि आवश्यक जरूरतों से संबंधित अधिकारों के प्रति चेतना जागृत कर संवैधानिक हक दिलाने में सहयोग प्रदान करती है।

संस्था, समाज के विकास के साथ-साथ सरकार के साथ आपसी लोकतांत्रिक एवं सामुदायिक सहभागिता पर लोकाधारित अभिशासन एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप से जिसमें दलितों का समुचित विकास शामिल है के तहत बिहार के 2 जिलों में कार्य कर रही है।

प्रयास ग्रामीण विकास समिति एक गैर-राजनैतिक, गैर-धार्मिक सामाजिक संगठन है। यह दलितों, पिछड़ी एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए तथा निश्चित घोषणा के लिए अत्यधिक परिश्रम कर रही है। यह सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन तथा राष्ट्रीय अनुभवों के लिए विश्वास के साथ बंधी हुई है। गहरा प्रवेश हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। अतः भाइचारा एवं सावधानी का मिला-जुला प्रयास अपनाया जा रहा है, इसने प्रशासन तथा सरकार के बीच अपनी पहचान स्थापित की है। बिहार के पटना जिले में फुलवारी शरीफ में स्थित यह एक पुर्नस्थापित सामाजिक एवं साहसिक एन. जी. ओ हैं प्रयास सोसाइटी एक्ट २१,१८६० के अन्तर्गत पंजीकृत है इस संगठन ने गॉवों में सन् १९८२ से कार्य करना शुरू किया कुछ युवा मित्र जो सम्पूर्ण क्रांती आंदोलन में निरंतर एक साथ रहे वो १९४७ से १९७७ जय प्रकाश थे, कुछ फ्रांसीसी स्वयं सेवको ने स्थानिय युवाओ को सामाजिक कार्यो में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया । उन्होंने युवा व्यक्तियों को सामाजिक कार्यो के लिए एक समाज की संगठन के लिए मार्गदर्शित किया। प्रयास बिहार क्षेत्रो में भी सेवा प्रदान कर रहा है जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अत्यंत ही पिछड़े हुए है, बिहार में गरीबी और पिछड़ापन बहुत ही गहरे तौर पर फैली हुई है। जातिय संरचना एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है लेकिन बिहार ने हर जाति एवं संप्रदाय से संबंधित हर उत्तेजना एवं क्रांति को देखा है। वर्तमान समय में विभिन्न निजी अस्त्र संगठन की भागीदारी इर्ष्या और राजनितिक अपराधों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया है। प्रयास ने दलितो, मुसहरो, औरतो, बच्चों एवं हमारे समाज के वंचित वर्गो के लिए मुख्य तौर पर कार्य किया है। प्रयास इस वर्ग के सामाजिक कार्यो एवं आर्थिक सुदृढ़ता हेतु जागरूकता के द्वारा तथा क्षमता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बाध्य है। इसने लोगों को संगठित होने में मदद की है ताकि उन्हें अपना अधिकार मिले तथा वे अहिंसा के द्वारा न्याय प्राप्त कर सके और इस प्रक्रिया के द्वारा अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध कर सके।

प्रयास के द्वारा शुरू किए गए संगठित सामाजिक कार्यों के सहयोग से उन्हें अपने अधिकारो का एहसास दिलाया गया है तथा लोगों को जागरूक बनाया गया है।

एक्शन एड के साथ संगठन के समागम का सक्षिप्त विवरणः- प्रयास के जुड़ाव के साथ एक्शन एड की शुरूआत १९६० में एन. एफ. प्रोजेक्ट के साथ पहली आर्थिक मदद हुई और २००७ तक इसका विस्तार किया गया। एन.एफ. काल में प्रोजेक्ट ने विशिष्ट सफलता एवं तरक्की दिखाई है। २००७ में दीर्घकालीन साझेदारी के लिए मूल्य की वृद्धि का प्रबंध किया गया तथा २००८ में दीर्घकालीन की शुरूआत की गई । इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो मुख्य मुद्दे थे वो थे- जमीन, जीविका, अन्न सुरक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा तथा दलित संगठनो की प्रतिष्ठा।

प्रोजेक्ट क्षेत्र– प्रयास का क्षेत्र पटना जिला के फुलवारीशरीफ तथा संपतचक दो ब्लॉकों में स्थापित है। यह प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवादा, नालंदा, गया, बक्सर, भोजपुर तथा जमुई जिलों को भी शामिल किया गया है हर जिले में दलित समुदाय के लिए पंचायतो के बीच दो प्रकार की मध्यस्थता स्थपित की गई है। प्रयास जो कि दलितो के सुदृढ़िकरण के लिए केन्द्रित है, उनको उनके अधिकारो के प्रति सचेत करती है। यह सारे जिलों के प्रति सचेत करती है। यह सारे जिलों में दलित अधिकर मंच की स्थापना करने में व्यस्त तथा तल्लिन है।

मदद दलित एवं अभिवंचितों समुदायों की समस्याओं की पहचान करना एवं सतस्याओं का एहसास कराना तथा उनके कारण और निवारण पर समुदायिकता के स्तर पर सोंच पैदा करना।
स्थायी विकास के मुद्दों का पहचान कराना तथा जागरूक कर सामाधान के दिशा में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दिलाना।
दलितों और अभिवंचित समुदाय का सम्मानित बेहतर जीवन जीने में संवैधनिक हक अधिकार हेतु नीति बनाने में सरकार के साथ एडभोकेशी करना जैसे :- जमीन, जल, जंगल स्वरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अस्पृश्चता उन्मूलन इत्यादि
वर्तमान विकासात्मक बने नीतियों के आधार पर योजनाओं का न्यायपूर्ण कार्यान्वयन हेतू सरकार के पदाधिकारियों को संवेदनशील करना।
ग्रामीण सदस्यों एवं नेतृत्व कर्त्ताओं का चयन कर समस्याओं के सामाधान के दिशा में उन्हें जबावदेह एवं जिम्मेवार बनाना।
गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकि शिक्षा के प्रति लक्षित समुदायों को जागरूक करना।
स्थायी आजीविका हेत स्वरोजगार एवं रोजगार उन्नमुखीकरण प्रशिक्षण कराना तथा ऐसी उन्नमुखी क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लक्षित समुदाय के युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ना।
दलितों पर हों रहे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना एवं अत्याचार निवारण हेतु जागयक कर उन्हें न्याय दिलाना।
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में लक्षित समुदायों को जागरूक करना।
सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देना एवं लाभ प्राप्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम करना।

विषय-वस्तु

- संस्थागत विजन, मिशन, आब्जेक्टिव
- संस्थागत संरचना
- संस्थागत गतिविधियां
- घरेलू कामगारों के पलायन एवं पुर्नवास कार्यक्रम
- शिक्षा कार्यक्रम-विद्यालय शिक्षा समिति
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-जानकारी, जागरूकता
- योजना पंचायत बनाम सरकारी योजनाओं तक दलितों की पहुंच
- ग्राम कोष बनाम जीविकोपार्जन
- अनाज कोष बनाम जीविकोपार्जन
- स्वास्थ्य शिविर/हेल्थ कैंप
- प्रशिक्षण कार्यक्रम-क्रियात्मक शिक्षा, जेण्डर, आरएसबीवाई, सामाजिक विश्लेषण
- बाहरी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण सहयोग
- जागरूकता कार्यक्रम
- संस्था के गवनिंग वॉडी की संक्षिप्त जानकारी

संस्थागत विजन, मिशन, आब्जेक्टिव

संस्था के स्वपन

दलितों के लिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना ताकि ये सामाजिक न्याय, समानता एवं मान-सम्मान के साथ जी सकें।

संस्था के लक्ष्य

दलितों के लिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु जनआंदोलन चलाना तथा उनके जारी संघर्ष में साथ देकर सशक्त बनाना ताकि ये अपने हक-अधिकार के लिए खुद लड़ सकें एवं सामाजिक न्याय, समानता एवं मान-सम्मान के साथ जी सकें।

संस्था के मुख्य उददेश्य

- दलित समुदाय की समस्याओं की पहचान करना एवं सामुदायिकता के स्तर पर समाधान के उपाय ढूंढना।
- दलित, कमजोर वर्ग, महिलाएं तथा बच्चों विशेषकर मुसहर समुदाय को अधिकार, न्याय तथा सम्मान दिलाना।
- स्कूल से छिजित बच्चे एवं स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा के मुंख्य धारा से जोड़ने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- समाज से बहिस्कृत दलित महिलाएं अतिपिछड़ी वर्ग की महिलाएं, किशोरियां, घरेलू कामगारों का क्षमता एवं दक्षाता विकास के साथ जीविकोपार्जन हेतु पहल करना।
- समाज में दलित समूदायो को सुदृढ़ एवं संगठित बनाना तथा जीवनधारण करने योग्य प्रगतिशील प्रक्रिया को लोगों की सहभागिता से एकांकित करना जिससे कि उन्हें जीविका संबंधित साधनों को प्रदान किया जा सके।

रणनीति (Strategy)

समाज से बहिस्कृत दलितों, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य हितभागियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विकास के लिए लोक-सहभागिता एवं संस्थागत शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से जानकारी एवं जागरूकता की समझ हेतु पहल।

दूरदर्शिता

दलित समुदाय की सामाजिक राजनितिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार

संगठन के मुख्य तत्व:-

(१) दलितों एवं अत्यंत पिछड़े समुदायों जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे है उन्हे जागरूक बनाना

(२) लोगों की सहभागिता से सामाजिक परिवर्तन एवं निमित्त गरीबी उन्मूलन को सुगम बनाना।

(३) आम सुझाव संस्था एवं लोगों के संपूर्ण विकास के लिए कड़ी का निर्माण करना।

(४) दलित विकास हेतु कल्याणकारी एवं विकासात्मक तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता की समझ विकसित करना एवं उनकी योजनाओं तक पहुंच हेतु उन्हें संवेदनशील करने की दिशा में समर्थन करना

(५) जीविका संसाधन पर जनाधिकार के लिए प्रचार/प्रसार का प्रबंध करना।

संस्था के मूल्य एवं सिद्धांत (Value and Principles)

- समानता, न्याय, अधिकार, अवसर
- सहभागिता, पारदर्शिता, आपसी सहयोग
- जवाबदारी, हिसाबदारी, गुणवत्ता,
- सामुदायिकता, आपसी समन्वय, लोकतांत्रिक निर्णय आदि।

jk"Vªh; LokLF; chek ;kstuk

jk"Vªh; LokLF; chek ;kstuk dh i"BHkwfe

;kstuk dh e[; ykHk

- परिवार के पांच सदस्य का ईलाज
- स्मार्ट कार्ड में गर्भवती महिला का नवजात शिशु भी शामिल
- अस्पतालीकरण की दशा में रू0 30,000/–(तीस हजार) तक का वार्षिक ईलाज
- भर्ती के दौरान सभी दवाएं निःशुल्क
- खून की जांच, एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउण्ड इत्यादि जांचों की निःशुल्क व्यवस्था
- भर्ती के समय रोगी को खाना मुफ्त
- डिस्चार्ज के समय 5 दिन की दवा निःशुल्क
- डिस्चार्ज के समय के समय अस्पताल आने–जाने का किराया रू0100/–(अधिकतम 1000/–रूपये वार्षिक)

उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और यह 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम

y{; leg

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और यह 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और यह 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम को सबसे पहले देश के 200 जिलों में प्रारंभ किया गया जो बाद में चलकर पूरे देश में शुरू किया गया।

odkyr dh izfd;k

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और यह 7 सितंबर

2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम को सबसे पहले देश के 200 जिलों में प्रारंभ किया गया जो बाद में चलकर पूरे देश में शुरू किया गया।

मदद
सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट, पटना, बिहार